

25 जुलाई, 1968 को पटना मेडिकल हास्पिटल की एक महिला कर्मचारी की मृत्यु तथा अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से सम्बन्धित घटनाओं पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में वक्तव्य दिया था। श्री भोगेन्द्र झा के वक्तव्य की एक प्रतिलिपि प्राप्त होने पर मैंने पुनः राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये हैं। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती गुलाबिया का शव 19 जुलाई, 1968 को प्रातः उसके पति को दे दिया गया था। श्री गोप द्वारा लिखे गये पत्र के तथ्य राज्य सरकार से मालूम किये जा रहे हैं। 25 जुलाई, 1968 के अपने वक्तव्य में मैंने पहले ही व्यक्त किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अन्तर्गत एक निजी शिकायत की जांच सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट पटना के आदेशों के अन्तर्गत एक मजिस्ट्रेट के द्वारा पहले ही की जा रही है।

रांची की घटना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार से एक और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। माननीय सदस्य के वक्तव्य में दी गई सूचना भी राज्य सरकार को भेज दी जायेगी ताकि हमें इस सदन में उठाई गई सभी बातों पर एक पूर्ण रिपोर्ट मिल सके। हमें अब तक की उपलब्ध सूचना के आधार पर रांची में हुई घटना को एक न्यायिक जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया है। एक प्राइवेट शिकायत के आधार पर श्रीमती गुलाबिया की मृत्यु के कारणों पर एक मैजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही जांच की जा रही है और इसलिए उसके निष्कर्षों की प्रतीक्षा करना बेहतर होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब सन्तोषजनक नहीं है।

MR. SPEAKER : That may be so. I cannot help it.

13 HRS.

*The Lok Sabha adjourned for Lunch
till Fourteen of the Clock.*

*The Lok Sabha Reassembled after lunch at
five minutes past fourteen of the clock.*

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

**Re : NOTICES AGAINST DEPUTY
PRIME MINISTER**

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही जरूरी मामले में जानकारी चाहता हूँ। यह मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ जानकारी चाहिये। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

आप जानते हैं कि श्री मोंगरजी देसाई के बारे में मैंने स्पीकर साहब के पास एक प्रस्ताव भेजा है और पांच छः वैकल्पिक प्रस्ताव भी भेजे हैं। श्री मोंगरजी देसाई के द्वारा सदन का अपमान किया गया है, सदन में गलत बयानी हुई है (इतरफांज)। मुझे स्पीकर साहब ने कहा था कि मारे कागजात उन्होंने प्रधान मंत्री को भेजे हैं। मैंने तीन दस्तावेज भी फोटोस्टेट कापीज भी उनको दी हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल इतना ही बताया जाए कि क्या प्रधान मंत्री ने जवाब भेजा है? मैं बाहर जा रहा हूँ, इसलिये मुझे जानकारी चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I do not know anything about it. How am I expected to reply? He wants information. Have you any information? I have no information.

**THE MINISTER OF PARLIAMEN-
TARY AFFAIRS AND COMMUNICA-
TIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) :**
The Speaker was here. He could have
have raised the matter then, but he did
not do that.

श्री मधु लिमये : माफ करिये मैं यहां पर नहीं था। मैं किसी जरूरी काम में फंसा हुआ था।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Why don't you see the Speaker I know absolutely nothing about that.

श्री मधु लिमये : मैं बारह बजे यहाँ नहीं था, नहीं तो मैं आपको तकलीफ नहीं देता । मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या प्रधान मंत्री का जवाब आया है मेरे नोटिस के बारे में और दस्तावेजों के बारे में ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I hope you are not leaving the House. You are going away for a day only.

श्री मधु लिमये : अभी स्पीकर साहब नहीं हैं । मैं बाहर जा रहा हूँ । तीन फोटो स्टेट कापीज़ मैंने भेजी हैं जिन से बिल्कुल साबित होता है कि मोरारजी देसाई सन्ध होते हुए भी असत्य बयानी कर रहे हैं । मैं शुक्रवार को नहीं आ रहा हूँ । सोमवार को आउंगा । इसलिए मुझे जानकारी चाहिए ।

श्री मधु साई पटेल (डभाई) : जानकारी चाहिए तो इनको यहाँ रहना चाहिये । बाहर क्यों जाते हैं ? माननीय सदस्य मोनोपोली क्रियेट करना चाहते हैं । अगर वह इसके बारे में पर्टिकुलर हैं तो उनको यहाँ रहना चाहिये ।

श्री मधु लिमये : नियम 355 के तहत मैं पटेल साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ । मेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए वह खड़े हो गए हैं । मैं उन से जवाब चाहता हूँ अपने सवाल या—

श्री मधुसाई पटेल : सीरियस हो तो यहाँ रहो । जाते क्यों हो ?

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : This should have been raised after the Question Hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You take it up with the Speaker. If anything is urgent, you can see him this afternoon.

श्री कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : स्पीकर साहब ने यह कहा था कि अगर कोई जरूरी सवाल हो तो चूंकि हर एक

चीज़ पर कालिग एटेंशन नोटिस मंजूर नहीं हो सकता है इस वास्ते शार्ट नोटिस क्वेश्चन दे दिया जाया करे । उस दिन उन्होंने सदन में यह प्रार्थना की थी मंत्रियों से कि इस तरह के अगर शार्ट नोटिस क्वेश्चन आया करें तो उनको मंजूर कर लिखा जाना चाहिये । आप देखें कि पन्द्रह दिन लगभग समाचारपत्रों में हड़ताल को चलते हुए हो गए हैं । कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आता है । मैं समझता हूँ कि यह सरकार भी खुश है क्योंकि इसके बुरे कारनामे प्रकाश में नहीं आते हैं, बदनामी की बातें छपती नहीं हैं और मालिक भी खुश हैं । या तो आप सदन की एक कमेटी बिठा दीजिये जो कोई रास्ता निकालें या फिर शार्ट नोटिस क्वेश्चन मंजूर होना चाहिये (इंटरप्राज)

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य कहते हैं कि शार्ट नोटिस क्वेश्चन मंजूर नहीं होते हैं । जहाँ तक मेरी जानकारी है एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन शुक्रवार के लिए और दूसरा सोमवार के लिए मंजूर हुआ है ।

श्री मधु लिमये : आप तो स्वीकार करते हैं लेकिन दूसरे नहीं करते हैं ।

श्री कंबर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, पन्द्रह दिनों से अखबारों की हड़ताल चल रही है । उस में इस वक्त डेडलाक है । हमें मालूम होना चाहिए कि उस की लेटेस्ट पोजीशन क्या है ?

डा० राम सुभग सिंह : अगर माननीय सदस्य कायदे से शार्ट नोटिस क्वेश्चन का नोटिस देंगे, तो यथा-सम्भव उस को एक्सेप्ट किया जायेगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Minister may please explain about the short notice question.

DR. RAM SUBHAG SINGH : We have accepted and we are going to reply to two short notice questions, one on Monday and the other one perhaps on Friday.

श्री कंबरलाल गुप्त : हाउस को यह तो पता लगना चाहिए कि प्रेजेन्ट पोजीशन क्या है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member is raising the same issue. The hon. Minister of Parliamentary Affairs has already said that Government have accepted the short notice question.

DR. RAM SUBHAG SINGH : Not this, other short notice questions.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : We are interested in this short notice question.

MR. DEPUTY-SPEAKER : All right, the hon. Minister may pursue this matter.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : हम अखबार वालों के इन लोगों से ज्यादा हमदर्द हैं ।

श्री कंबरलाल गुप्त : इन लोगों के बुरे और गन्दे कारनामे अखबारों में छपते हैं, इसी लिए य उनकी हड़ताल के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं ।

DR. RAM SUBHAG SINGH : How can he raise it here in this manner ? You should not allow him to raise anything in this manner here.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I would request the Members particularly from the Opposition Benches not to take the Chair by surprise after the lunch hour.

श्री मधु लिमये : आश्चर्य की बात क्या है, सरप्राइज़ क्या है ? हम जानकारी मांग रहे हैं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Minister has replied to what the hon. Member had asked.

श्री कंबरलाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, अखबारों की हड़ताल के बारे में लैटेस्ट पोजीशन क्या है, उस के बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I would request Shri Madhu Limaye also....

SHRI MADHU LIMAYE : Was the hon. Minister of Parliamentary Affairs taken by surprise ?

क्या वह श्री मोरारजी देसाई के बारे में नहीं जानते हैं ?

DR. RAM SUBHAG SINGH : Again, the hon. Member is taking us by surprise.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I was taken by surprise by two things. He said 'I am going away'. I thought he was resigning.

श्री मधु लिमये : उधर के माननीय सदस्य चिन्ता न करें । मैं उन को खुश करने वाला नहीं हूँ ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : It is a very bad hit.

श्री मधु लिमये : वह मजाक कर रहे हैं । मैं डा० राम सुभग सिंह की पार्टी को खुश करने वाला नहीं हूँ ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Honestly I felt it. He said 'I am going away'.

श्री शिव नारायण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पत्रकारों का उतना ही हमदर्द हूँ, जितने कि ये हैं । हम को अखबार नहीं मिलता है, कोई इनफॉर्मेशन नहीं मिलती है, जिससे असुविधा होती है । मैं एसेम्बली और कौंसिल का मेम्बर रहा हूँ और अब लोक सभा का मेम्बर हूँ । इस किस्म के सवाल वक्तेचन आबर के बाद रोज किये जाते हैं, जब कि स्पीकर चेयर में होते हैं । लंच आबर के बाद, वगैर आप की परमिशन के, क्या कोई इस तरह का वक्तेचन पूछ सकता है ? आप ने उन को परमिन नहीं दी, फिर भी वह बोलने लगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order, Hon. Members should help me to keep some discipline in the House.

श्री शिव नारायण : श्री कंबर लाल गुप्त बड़े पार्लियामेंटेरियन बनते हैं और हम को उपदेश देते हैं । मैं अखबार वालों को बहना चाहता हूँ कि इन लोगों की निस्वत उन के कम हमदर्द नहीं हैं ।

श्री रणधीर सिंह : मैं आप की माफ़त अखबार वालों से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की हमदर्दी झूठी और नुमायशी है,

हमारी हमदर्दी असली है। ये सब उन को एकसप्लायट करते हैं। हमारे लिए सुबह अखबार चाय से भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन आजकल वह हम को नहीं मिलता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, let us proceed with the business before the House.

श्री मनुभाई पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि माननीय सदस्य, श्री जार्ज फरनेन्डोस और श्री मधु लिमये, की पार्टी में आपस में फूट है।

श्री मधु लिमये : कोई फूट नहीं है।

श्री मनुभाई पटेल : ये दोनों रजिनेशन देने में आपस में हाँड़ सी कर रहे हैं। अपनी स्थिति को बचाने के लिये ये इस किस्म की बातें करते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order.

14.15 Hrs.

PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) AMENDMENT BILL—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will not take up further consideration of the following motion moved by Shri Jagannath Rao on the 2nd August, 1968, namely :—

"That the Bill further to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : I welcome Shri S. M. Banerjee's....

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : Is the hon. Member sitting or standing and then speaking ?

SHRI D. C. SHARMA : Is he a man or a woman ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has intellectual height, but the physical height is a little less.

SHRI D. C. SHARMA : He looks like a matron; he does not look like a man.

I want to make a few observations on the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill which has been brought forward by Shri Jagannath Rao who used to be at one time my good friend.

The proposed section 2(b) is something to which I do not think anybody can take exception. The definition runs as follows :

"public premises" means any premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by, or on behalf of, the Central Government....".

I think that this is unexceptionable. The Central Government is responsible for the public sector and the public sector requires ample space for building its factories, its workshops, its cantonments and other things. Therefore, nobody should take any exception to this. But the rub lies where the following provision is there, namely :

"any company as defined in section 3 of the Companies Act, 1956, in which not less than fifty-one per cent of the paid-up share capital is held by the Central Government".

Here lies the hurdle which I have not been able to overcome.

Government may hold 51 per cent shares, but take it from me that the persons who hold 49 per cent shares will run that company and not the Government. It is because Government is half asleep and half awake. Government is half ignorant and half aware, and the result would be that all these things would go into private hands gradually and slowly and nobody would bother about what would happen. Therefore, I feel that the quantum of share to be held by the Central Government should be increased at least to 75 per cent. If that is not done, then I am afraid that this provision is liable to be abused. I warn the Government that they should take heed in good time. Otherwise they will rue the day when they have got to face it. Most of the private enterprise people will come forward and buy shares to the tune of 49 per cent and they will have their heyday or field day so far as the acquisition of public premises is concerned.

Now, Government are seeking to extend this to the local authorities also. Sir, you are a great constitutional expert and you know very well the proliferation of authority in India has done more harm to us than good. From the Central Government we come to private companies and from private companies we come to local authorities and from local authorities we shall